उत्तर प्रदेश विधान सभा की द्वितीय अनुपूरक कार्य-सूची

बुधवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1948

(दिनांक 05 अगस्त 2026 ई0)

XXXX XXXX XXXX

19 (1) मुख्य मंत्री, दिनांक 24.11.2024 को कस्बा-सम्भल, थाना-कोतवाली, सम्भल, जनपद-सम्भल में माननीय न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद बनाम हरिहर मन्दिर विवाद में आदेशित सर्वे के दौरान हुई हिंसक घटना के सम्बन्ध में गृह(पुलिस) अनुभाग-12 की अधिसूचना संख्या यू0ओ0-87/छ:-पु0-12/2024, दिनांक 28.11.2024 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार अरोड़ा, माननीय न्यायमूर्ति(सेवानिवृत्त), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट को जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखेंगे।

19 (2) मुख्य मंत्री, गृह (पुलिस) अनुभाग-7 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की अड़तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 को कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-395 की उपधारा (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखेंगे।

19 (3) वित्त मंत्री भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-13, (अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व एवं सिविल) को सदन के पटल पर रखेंगे।

XXX XXX XXX

आज्ञा से,

लखनऊ:
दिनांक 05 अगस्त 2026 ई0

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।

****

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुपूरक कार्य-सूची

बुधवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1948
(दिनांक 05 अगस्त 2026 ई0)

XXXX XXXX XXXX

54 **(1)** वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान-

वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या 03, 06 लगायत 21, 23, 26, 31 लगायत 33, 35 लगायत 36, 43, 47, 49 लगायत 52, 58, 60 लगायत 61, 65, 67 लगायत 69, 71 लगायत 74, 76 लगायत 77, 79 लगायत 81, 83, 86 लगायत 87 तथा 92 लगायत 93 के अन्तर्गत कुल रूपये अट्ठावन हजार नौ सौ चौवन करोड़ छप्पन लाख तेईस हजार (रूपये 58954,56,23,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए स्वीकार की जाय?

54 **(2)** वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

54 **(3)** वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करेंगे।

54 **(4)** वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) विधेयक, 2026 पर विचार किया जाय।

54 **(5)** वित्त मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) विधेयक, 2026 पारित किया जाय।

XXX XXX XXX

आज्ञा से,

लखनऊः
दिनांक 05 अगस्त 2026 ई0

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।

****